प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 35/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, **17 अप्रैल 2023 -** भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने संदर्भ दिनांक 07.03.2022 के तहत भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए)(i) के तहत ड्राइव-इन थिएटर एप्लिकेशन के लिए नए सेवा प्रदाता की शुरुआत की आवश्यकता और समय पर प्राधिकरण की अनुशंसाए मांगी हैं।

3. लो-पॉवर शॉर्ट रेंज एफएम रेडियो प्रसारण उन सेवाओं के लिए ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है जो सीमित स्थानों और रिसेप्शन क्षेत्रों के लिए अभिप्रेत हैं। ऐसी सेवाओं के कुछ उदाहरणों में **ड्राइव-इन थिएटर, अस्पताल रेडियो सेवाएं, मनोरंजन पार्क, व्यापार परिसर, बंद समुदाय जैसे आवासीय परिसर , छोटे आवास , स्थानीय कार्यक्रम जैसे एयर शो और खेल आयोजन आदि** शामिल हैं।

4. तदनुसार, यह परामर्श पत्र लो पावर स्मॉल रेंज एफएम रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां **15 मई 2023** तक आमंत्रित की जाती हैं।

प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हों, **29 मई 2023** तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियां और प्रति- टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं ।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष संख्या +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

6. परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है ।

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा